#2021/63

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

बनाम इन्द्रावती वगैरा

किस्त मुकदमा नं. सन् 31/20 31/21

प्रा0 रा0 Act आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
01/07/21	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया हम एडवोकेट प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में कायम आता है कि अभ्यर्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाकर आगामी तारीख पेशी तक इस कारण का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र बीमा सर्वे नं. 2 के बाबत आगामियात वाले ग्राम सरफ सैयद अली तहसील बयाना में प्रार्थी के हिस्से की आराजी के मौके की यथास्थिति को बनाए रखे इस बाबत कोई अपील हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण अग्रिम हो अभ्यर्थीगण को जारी नोटिस तथा का पत्रावली किसान 6/57 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	हुक्म का नम्बर
6/5/21	कोरोना महामारी में व्यस्त पीठासीन अधिकारी पत्रावली दिनांक 19/8/21 को पेश हो Che पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ./एस.डी.ओ. बयाना	
19/8/21	चुनाव कार्य में व्यस्त पीठासीन अधि पत्रावली दिनांक 20/12/21 को पेश हो Che पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ./एस.डी.ओ. बयाना	
20/12/21	प्रकरण प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शिवराम पक्ष के आधार पर तहसीलदार प्राथमिक पक्ष के आधार पर तहसीलदार प्रेमी से प्रति रखाना अनु. प्रार्थी ने प्रेमी से 5 प्रेम कर विवाह किया है कि दिव पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थी अपना प्राथमिक पक्ष आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रार्थी की पहचान की असली है। प्रार्थी को सुना। अतः प्राथमिक पक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक पक्ष के आधार पर इसी स्तर पर निराकृत किया जाता है। पत्रावली कैमरा सुनाई देकर मत्तर से कम होने दाखिल दफ्तर हो।	शिवराम शिवराम पक्ष की प्रार्थना करता है

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)